उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक 17 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 25/01/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषयः– जमा कार्यों एवं AMC पर जी0एस0टी0 एवं इनपुट टैक्स केडिट के सम्बन्ध में।

1. **ऐसे प्रकरण जहाँ जमा मद में राशि GST से पूर्व प्राप्त हुई है एवं कार्य GST लागू होने के उपरान्त सम्पादित हुआ है।**

संज्ञान में आया है कि जमा मद में विभागीय कार्यों को कराये जाने पर जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रायः खण्ड से जमा मद के सापेक्ष धनमांग पत्र प्राप्त होने पर यह अवगत कराया जाता है कि जमा धनराशि एवं प्राक्कलन जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि से पूर्व का है जिसके कारण जी0एस0टी0 लागू नहीं होता है जब कि कार्य की पूर्णता जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात हो रही होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमें जमा कार्यों के विरूद्ध आंशिक धनराशि जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व प्राप्त हुई है एवं अतिरिक्त आंशिक धनराशि जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात प्राप्त हुई है, ऐसे में जी.एस.टी. भुगतान को लेकर भ्रम की स्थिती बनी हुई है।

जी.एस.टी. नियमों के अनुसार जी.एस.टी. की देयता कार्य सम्पादित करने पर उत्पन्न होती है। उपरोक्त प्रकरणों में चूंकि कार्य जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात सम्पन्न हुआ है, अतः कथित कार्यों पर जी.एस.टी. लागू होगा एवं कार्य की कुल लागत पर जी.एस.टी. देय होगा।

उपरोक्त प्रकरणों में इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया निम्नलिखित अनुसार है।

1. जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात निर्गत प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज कर वसूला जाना सुनिश्चित करें। प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज करने एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा Receipt Voucher निर्गत किया जायेगा।
2. कार्य समाप्ती पर इकाई द्वारा पूर्ण राशि की Tax Invoice निर्गत की जायेगी।
3. जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व के प्राक्कलनों में जी0एस0टी0 चार्ज नही किया गया होगा किन्तु Tax Invoice निर्गत करने पर जी0एस0टी0 जमा करने का दायित्व पूर्ण राशि पर होगा, अतः जी0एस0टी0 के अन्तर को Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूल लिया जाए।

उदाहरण के लिये–

क)	सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत	रू0 100/– करोड़
ख)	जी0एस0टी0 से पूर्व की गयी वसूली	रू0 40/– करोड़
ग)	जी0एस0टी0 के बाद की गयी वसूली	रू0 60/– करोड़
	+GST@18%	रू0 10.8/– करोड़
	कुल राशि	रू0 70.8/– करोड़
घ)	कुल वसूल की गयी राशि (रू0 40/–करोड़ + रू0 60/– करोड़ + रू0 10.8/–करोड़)	रू0 110.8/– करोड़
ड़)	कार्य समाप्ति पर निर्गत Tax Invoice की राशि	रू0 100/– करोड़
	+GST	रू0 18/– करोड़
	कुल राशि	रू0 118/– करोड़
च)	कम वसूली गयी राशि (रू0118/– करोड़ – GST रू0110.8/– करोड़)	रू0 7.2/– करोड़ (जो कि रू0 40/– करोड़ का 18% है।)

सारणी के बिन्दु सं0 'च' के सन्दर्भ में इस राशि को उपरोक्त बिन्दु सं0 3 के अनुसार Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूलना सुनिश्चित किया जाये। इकाइयाँ पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा–निर्देश सं0 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जमा कार्य सम्बंधित टैक्स इनवाईस कार्य समाप्ति के 30 दिन के भीतर इकाई द्वारा निर्गत कर दी जाये।

इसके अतिरिक्त इनवाईस निर्गत करते समय दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 में अंकित जमा कार्यों का HSN/SAC Code 999799 के स्थान पर 998631 उपयोग किया जाये।

2. <u>Annual Maintenance Charges पर जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में।</u>

संज्ञान में आया है कि कुछ इकाईयों द्वारा AMC के प्राक्कलन बनाते समय पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा–निर्देश सं0 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 का अनुपालन सही रूप से नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि कथित दिशा–निर्देश मुख्यतः ऐसे प्रकरणों के लिये है जहाँ किसी सम्पत्ति का निमार्ण किया जाता है एवं जिसकी मालिकियत निगम की होती है जिसके परिणाम स्वरूप जी0एस0टी0 में इनपुट टैक्स केडिट (ITC) उपलब्ध नही होता है, अतः प्राक्कलन में दो बार जी0एस0टी0 भारित किया जाता है। किन्तु AMC के प्रकरणों में किसी नयी सम्पत्ति का निर्माण नही किया जाता, अतः AMC सेवाऐ प्रदान करने के लिये उपयोग किये गये माल अथवा सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स केडिट (ITC) निगम को उपलब्ध होगा तदनुसार प्राक्कलन बनाते समय सिर्फ एक बार अन्त में जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा। इनपुट टैक्स केडिट (ITC) से संबंधित दिशा–निर्देश सं 02/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2017–18 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

इसके अतिरिक्त AMC सेवाऐ जी0एस0टी0 में Continuous Services की श्रेणी में आती है अतः इकाइयों द्वारा टैक्स इनवाईस उपभोक्ता के प्रत्येक भुगतान पर निर्गत किया जायेगा। AMC सेवाओं के प्रकरणों में Receipt Voucher निर्गत नही किया जायेगा। (AMC सेवाओं का HSN/SAC Code - 998631)

कृपया ध्यान दे कि किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स केडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स केडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रिय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स केडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स केडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।

(अनिल कुमार अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

<u>दिशा–निर्देश सं0: 17/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को/ लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल कुमार अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)